सुशील चौधरी और अन्य

बनाम

बिहार राज्य

6 सितंबर, 1979

[वी. आर. कृष्णा अय्यर और पी. एन. सिंहल, जे.जे.]

सजा प्रक्रिया- वृद्ध व्यक्तियों और युवा अपराधियों के लिए सजा- धारा 354(3), 360 और 365 सीआरएल.पी.सी., 1973

विशेष अनुमति द्वारा अपील को खारिज करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

1. आरोपी मुन्नी मरांडी की उम्र और किसी भी प्रत्यक्ष कृत्य की अनुपस्थिति को ध्यान में रखते हुए, उसके मामले की परिस्थितियों में दो साल के कठोर कारावास की सजा आई.पी.सी. धारा 149 सपठित धारा 326 के तहत अपराध के लिए न्याय की पूर्ति करेगी। [587 जी-एच]

2. विधान के अभाव की भरपाई न्यायिक कानून से नहीं की जा सकती, अपराध के समय बबुआ मरांडी की उम्र 15 वर्ष थी और बिहार में कोई बाल अधिनियम नहीं है। यद्यपि दोषसिद्धि या सजा में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है, मामले की असहाय परिस्थितियों में और विधायी

शून्यता की असहाय स्थिति में यह न्यायालय केवल यह निर्देश दे सकता है कि बबुआ मरांडी को या तो खुली जेल में या मॉडल जेल में रखा जाए या राज्य में उपलब्ध कोई अन्य जेल जहां युवा अपराधियों को वयस्क अपराधियों से अलग रखा जाता है, ऐसा करने के लिए विशेष निर्देश यह है कि किशोरों को स्पष्ट कारणों से जेल परिसरों में वयस्कों से अलग रखा जाना चाहिए। [588 सी-ई]

अपराधीय अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 483/1979।

पटना उच्च न्यायालय के आपराधिक अपील संख्या 356 और 407/73 में निर्णय एवं आदेश दिनांकित 22-3-1979 से विशेष अनुमति द्वारा अपील।

अपीलार्थियों की ओर से बी. पी. सिंह और एल. आर. सिंह।

प्रत्यर्थी की ओर से एस. एन. झा और यू.पी. सिंह।

न्यायालय का आदेश कृष्णा अय्यर, जे. द्वारा दिया गया।

हमने यहां अपीलकर्ताओं मुन्नी मरांडी और बबुआ मरांडी के विशेष संदर्भ में अपीलकर्ताओं के वकील की दलीलें सुनी हैं। हमने राज्य के अधिवक्ता की सहायता से इन आरोपी व्यक्तियों से संबंधित साक्ष्यों को भी पढ़ा है। मुन्नी मरांडी की भूमिका यह है कि वह उस भीड़ का सदस्य था जिसने मृतक का पीछा किया था और इस अर्थ में वह आई.पी.सी. की

धारा 149 सपठित धारा 326 धारा के तहत उत्तरदायी था। हम सजा के लिए उच्च न्यायालय को दोषी नहीं ठहरा सकते, लेकिन आरोपी की उम्र और उसकी ओर से किसी भी प्रत्यक्ष कृत्य की अनुपस्थिति को ध्यान में रखते हुए, हम मानते हैं कि इस मामले की परिस्थितियों में दो साल की कठोर कारावास की सजा न्याय के उद्देश्य को पूरा करेगी।

भीड़ में 15 साल का लड़का बबुआ मरांडी भी था। मृतक का उत्साह मे पीछा करते समय, इस लड़के ने भी पीछा किया और जब रणजीत चौधरी ने वास्तविक तलवार चलाई, तो इस लड़के ने मृतक को पकड़ लिया। इस लिहाज से उसकी भूमिका मुन्नी मरांडी से अलग है। इसलिए, हम उसकी दोषसिद्धि या सजा में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं। फिर भी, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि अपराध के समय बबुआ मरांडी की उम्र 15 वर्ष थी। यह खेदजनक है - और इस न्यायालय ने इसे एक से अधिक बार इंगित किया है - कि बिहार में कोई बाल अधिनियम नहीं है, और इस अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष में हमें इस बात पर जोर देना होगा कि विधायिका से अपेक्षा की जाती है कि वह बाल अधिनियम जैसे उपाय को पारित करने पर विचार करके बिहार के बच्चों के प्रति अपना कर्तव्य निभाए। जो बहुत पहले केंद्र सरकार द्वारा प्रसारित किया गया था और जो देश के कुछ अन्य राज्यों में मौजूद है। जो भी हो, हम बबुआ मरांडी के साथ एक बच्चे की तरह व्यवहार करने में असमर्थ हैं, इसका सीधा कारण

यह है कि विधान के अभाव की भरपाई न्यायिक कानून से नहीं की जा सकती। मामले की असहाय परिस्थितियों में और विधायी शून्यता की असहाय स्थिति में, हम बस इतना ही कर सकते हैं कि बबुआ मरांडी को या तो खुली जेल में या मॉडल जेल में रखा जाए या राज्य में उपलब्ध कोई अन्य जेल जहां युवा अपराधियों को वयस्क अपराधियों से अलग रखा जाता है। विशेष कारण जो हमें इस दिशा में ले जाने के लिए प्रेरित करता है वह यह है कि, जैसा कि सर्वविदित है, जेल परिसरों में किशोरों को वयस्कों से अलग रखा जाना चाहिए। बुराइयां स्पष्ट हैं और इसलिए हम उसी के अनुसार निर्देश देते हैं।

वी.डी.के. अपील खारिज की जाती है।

[यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल **'सुवास'** की सहायता से **अनुवादक राहुल कुमार** द्वारा किया गया है।**]**

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।